महत्वपूर्ण / सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या : बी–1–2295/दस–2014–231/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 30 जून, 2014

विषय : वित्तीय वर्ष 2014–2015 की वित्तीय स्वीकृतियों की अग्रिम कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 का बजट विधान मण्डल में दिनाँक 20 जून, 2014 को प्रस्तुत किया गया है । सभी विभागों को अपने विभागीय योजनाओं के बजट प्रावधान की जानकारी हो चुकी है । विधान सभा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभागीय अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा विनियोग विधेयक पारित होना प्रस्तावित है ।

2– कार्यहित में यह आवश्यक है कि जैसे ही विधान मण्डल से विनियोग विधेयक पारित होने के उपरान्त वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायें, प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–2015 की वित्तीय स्वीकृतियाँ शीघ्रातिशीघ्र जारी की जायें जिससे विकास के कार्य प्रारम्भ हो सकें ।

3– बजट मैनुअल के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियाँ बिना किसी विलम्ब के जितनी जल्दी सम्भव हो, जारी की जानी चाहिये । प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए विनियोग विधेयक के पारित होने तथा वित्त विभाग के आदेश की प्रतीक्षा न की जाय ।

4– उक्त को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रमुख सचिव / सचिव अपने स्तर पर विभाग की योजनाओं की समीक्षा कर लें और वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के पूर्व जिन कार्यवाहियों को नियमानुसार किया जाना आवश्यक है जैसे – आगणन गठित किया जाना, परियोजना का स्वरूप निर्धारित करना, यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग / व्यय वित्त समिति से उसका परीक्षण एवं मूल्यांकन कराया जाना, विभागाध्यक्ष से प्रस्ताव प्राप्त किया जाना आदि की कार्यवाही विनियोग विधेयक के पारित होने की प्रत्याशा में तत्परता से प्रारम्भ कर दें, जिससे कि विनियोग विधेयक पारित होते ही वर्ष 2014–2015 की वित्तीय स्वीकृतियाँ शीघ्रता से निर्गत हो सकें ।

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।

भवदीय,

30/6

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव ।